>

Title: Need to ensure adequate payment of compensation to land oustees whose lands are being acquired for setting up of a thermal power station in Bausi block of Banka district in Bihar.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): बांका (बिहार) के बौसी प्रखंड में एक कंपनी द्वारा थर्मल विद्युत स्टेशन के निर्माण की अनुमति मिली है। थर्मल को 2200 एकड़ जमीन की आवश्यकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा कंपनी को किसानों से जमीन खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा जमीन का स्वयं अधिग्रहण न कर कंपनी को जमीन खरीद की अनुमति देना किसानों के लिए भयानक हादसा साबित हो रहा है।

किसान थर्मल विद्युत गृह के निर्माण के विरोधी नहीं है मगर अपने जमीन की उचित कीमत चाहते हैं। कंपनी द्वारा किसानों से वार्ता कर उचित कीमत न देकर जबरदस्ती जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं। जहां बिहार राज्य में अन्य स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण स्वयं सरकार के द्वारा 20 से 25 लाख रूपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है वहीं बौसी में मात्र 40-50 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से जमीन को लूटा जा रहा है। अनाथ विधवा तथा अनपढ़ असहाय ग्रामीणों को ताकत के बल पर जबरदस्ती निबंधन कार्यालय में ले जाकर अंगूठे का निशान बनवाकर निबंधन की खानापूरी कर ली जा रही है हद तो तब हुई है जब गैर व्यक्ति जिनके पास ताकत है सैकड़ों किसानों को डरा धमका कर पावर ऑफ एटार्नी लिया गया एवं उनकी जमीन को औने-पौने दाम पर स्वयं निबंधित कर दिया गया तथा बदले में कीमत भी नहीं दी गई है। जो जमीन किसी भी हालत में नही देना चाहते हैं बिना निबंधन के ही जमीन पर कब्जा कर लिया जा रहा है।

जमीन के साथ होता हुआ अनर्थ इस हद तक गया है जब "चानन जलाशय " का पानी भी कंपनी को सुपुर्द कर दिया गया है। चानन जलाशय 50 वर्ष पुराना है जिससे एक बड़े भू-भाग की उपजाऊ जमीन की सिंचाई होती है। किसान बेचैन है। किसी ने भी आगे बढ़कर किसानों को बचाने का प्रयास नहीं किया जिससे वे आंदोलन पर उतर आए हैं।

मैं केंद्रीय सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप कर किसानों के हितों की रक्षा की जाये।